प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 00747/2019-2020 दिनांक 11/12/2019

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/JPN/01926/2019-2020 पत्रावली संख्या:MBD-13426 दिनांक:2004-2005

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **श्री राम कालेज समिति, राष्ट्रीय राजमार्ग, मेला रेस्टोरेंट के सामने गजरौला, जिला अमरोहा, अमरोहा, 244235** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 438/2004-2005 दिनांक-19/08/2004 को दिनांक-19/08/2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।
1200 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(BHUPENDRA KUMAR SINGH)
सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

जारी करने का दिनांक-11/12/2019

Generated by CyberLink U Scanner

संख्या 2809
11-09-09

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र

नवीकरण संख्या 604 2009.

फाइल संख्या I MBD-17426

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि श्री राम कालेज समिति राष्ट्रीय राजमार्ग, मेला रेस्टोरेंट के सामने गजरौला जिला जे० पी० नगर को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 438/2004-05 दिनांक 19-8-2004 को दिनांक 19-8-2009 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

240/- रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 10-9- 2009.

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 5 प्रबन्धक–23.9.2004–(1352)–50,000–(कम्प्यूटर / आफसेट)।

प्रबन्धक

Generated by CyberLink U Scanner

श्री राम कालिज समिति पता राष्ट्रीय राज मार्ग मेला रेस्टोरेन्ट के सामने गजरौला जिला अमरोहा की प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष :–2014–2015

क्र0 सं0	नाम / पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	मु0 सलीम पुत्र श्री हनीफ	बुद्ध बाजार, वार्ड नं0–6 मकान नं0–936 गजरौला जिला अमरोहा	अध्यक्ष	व्यापार
2.	चन्द्रमोहन पुत्र श्री पिशोरी लाल	25 आदर्श नगर यमुना नगर	उपाध्यक्ष	व्यापार
3.	श्रीमती अंशू नागपाल पत्नी श्री देवेन्द्र नागपाल	माल गोदाम रोड रेलवे स्टेशन गजरौला	प्रबन्धक	गृहणी
4.	नासिर अली पुत्र श्री अ0 लतीफ	शिवपुरी गजरौला जिला अमरोहा	उपप्रबन्धक	व्यापार
5.	दलजीत सिंह पुत्र श्री राम सिंह	मकान नं0–92 शिवपुरी वार्ड नं0–12 गजरौला जिला अमरोहा	उपप्रबन्धक	व्यापार
6.	श्रीमती नीलम पुत्री श्री कुन्दन लाल	पंजाबी कालोनी धामपुर बिजनौर	कोषाध्यक्ष	गृहणी
7.	श्रीमती पूनम भसीन पत्नी श्री प्रदीप भसीन	सी5 / 185बी, ब्लाक सी–5, लारेन्स रोड दिल्ली	आडिटर	गृहणी
8.	नीरू देवी पुत्री श्री कुन्दनलाल	आदर्श नगर यमुना नगर	सदस्य	व्यापार

Anshu Saleem

चन्द्रमोहन Nasir Ali

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

प्रधान सहायक
कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
मुरादाबाद
19/5/15

Generated by CyberLink U Scanner

संशोधित स्मृति–पत्र

संस्था का नाम	श्री राम कालेज समिति,
संस्था का पता	राष्ट्रीय राजमार्ग –24, मेला रेस्टोरेंट के सामने गजरौला, जिला–अमरोहा।
कार्यक्षेत्र	समस्त उत्तर प्रदेश
संस्था का उददेश्य	संस्था का उददेश्य निम्नलिखित है।

1– बालक बालिकाओं का शाररिक,नैतिक तथा बौद्विक विकास करना उनके शैक्षिक तथा सामान्य जीवन स्तर को ऊपर उठाना।

2– सभी बालक बालिकाओं को बिना किसी जातिय, धार्मिक, क्षेत्रीय अथवा अन्य किसी भेदभाव के हर प्रकार की शिक्षा प्रदान करना।

3– समिति के द्वारा संचालित सभी विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में सेमिनार, डिबेट तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना जिससे क्षेत्र के छात्र–छात्राओं का शैक्षिक, नैतिक तथा बौद्विक विकास हो सके।

4– रोजगार से संबधित सभी प्रकार के तकनीकी, गैर तकनीकी शिक्षण संबधित पाठयक्रम तथा व्यवसायिक संस्थाए कायम करना।

5– समाज के पिछडे हुए और उपेक्षित वर्ग के लोगो को शैक्षिक, सामाजिक विकास हेतू प्रोत्साहित करना।

6– असहाय बच्चों के शैक्षिणिक भरण पोषण तथा उन्हें योग्य बनाने हेतू प्रयास करना और स्वास्थय केन्द्रो की स्थापना करना।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद

7– पिछडे हुए युवा जनो के लिये मुख्य चिकित्सालय और बौद्विक विकास के लिये पुस्तकालय, वाचनालय एव मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना करना।

......2 पर

Generated by CyberLink U Scanner

8– निराक्षित महिलाओं, वृद्व जनों और बच्चों के लिये नारी सुलभ उद्योगों का प्रशिक्षण एवं बाल विकास केन्द्रों की स्थापना करना।

9– जाति धर्म और भाषा के आधार पर उत्पन्न द्वेष वैमनस्थ की भावना को दूर कर राष्ट्र एकता की भावना जागृत करना।

10– देश प्रदेश की सम उद्देश्यों वाली संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर उद्देश्यों की पूर्ति करना।

11– निर्धन एवं बेसहारा व्यक्तियों व बच्चों तथा विकलांग व्यक्तियों के लिये अनाथालय खुलवाना।

12– समाज के शेक्षिक उत्थान हेतू बालक–बालिकाओं के लिये प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक विद्यालय की स्थापना करना तथा साक्षरता की प्रदेश सरकार व भारत सरकार की समस्त योजनाओं में सहयोग करना व स्वंय संचालित करना तथा ऋण व अनुदान प्राप्त करना ।

13– यह सब कार्य करना जो सोसाइटी अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत मान्य हो।

14– संस्था की भूमि पर भवनों का निर्माण अथवा पहले से बने भवनों में आवश्यक परिवर्तन, परिवर्धन एवं उन्हें बिजली, पानी, फर्नीचर एवं शौचालय आदि आवश्यक प्रायोगिक सुविधाओं से सुसज्जित करना।

15– महात्मा ज्योतिबाफूले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय की परिनियमावली के प्रथम परिनियम 11.05 को समाविष्ट कर लिया गया है।

16– संस्था का उददेश्य "Not for Profit" के लिये कार्य करना है।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद
19/7/13

Generated by CyberLink U Scanner

संशोधित नियमावली

1.संस्था का नाम : श्रीराम कालिज समिति।

2. संस्था का पता : राष्ट्रीय राजमार्ग मेला रेस्टोरेन्ट के सामने गजरौला जिला अमरोहा।

3. संस्थ का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश।

4. संस्था के उदेदश्य : संस्था के उददेश्य निम्नलिखित होगें।(स्मृति पत्र के आनुसार)

5. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग–

इस समिति की सदस्यता एवं उनका वर्गीकरण निम्नवत् होगा।

1. आजीवन सदस्य
2. विशिष्ट सदस्य
3. साधारण सदस्य

आजीवन सदस्य:– समस्त वे महानुभाव जो संस्था को एक बार में मुबलिग 25000/– रूपये या नकद या इससे समकक्ष चल व अचल सम्पत्ति प्रदान करेगें। वे संस्था के आजीवन सदस्य कहलायेंगे।

विशिष्ट सदस्य :– समस्त वे व्यक्ति जो समिति को एक मुश्त 20,000/– रूपये नकद या इसके समकक्ष चल व अचल सम्पत्ति प्रदान करेगें वे व्यक्ति संस्था के विशिष्ट सदस्य कहलायेंगे।

साधारण सदस्य :– संस्था को एक बार में 1000/– रूपये प्रति वर्ष अथवा 100/–रूपये प्रति माह सदस्यता शुल्क प्रदान करने वाले व्यक्ति समिति साधारण सदस्य कहलायेंगें।

6 सदस्यता समाप्ति :–

निम्न स्थितियों में किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

1–शुल्क जमा न करने।
2– न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
3– लगातार तीन बैठको मे अनुपस्थित रहने पर ।
4– संस्था के नियमो के विपरीत कार्य करने पर।
5– किसी सदस्य की किसी कारण से मृत्यु हो जाने पर।
6– किसी सदस्य के पागल हो जाने पर।
7– किसी सदस्य के दिवालिया घोषित होने पर।
8– किसी सदस्य के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव आने पर।

7.संस्था के अंग :–

Anshu Nagpal Saleem चन्द्रमोहन Nasir Ali

प्रधान सहायक
कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
मुरादाबाद

Generated by CyberLink U Scanner

1— साधारण सभा।

2— प्रबन्धकारिणी समिति

8. साधारण सभा :— 1— गठन — समिति की साधारण सभा वह सभा होगी जिसमें समस्त प्रकार के सदस्यों को सम्मिलित किया जायेगा इन सभी सदस्यों को मिलकर बनी साधारण सभा कहलायेगी।

साधारण सभा की बैठकों — साधारण सभा की सामान्य बैठक एक साल मे एक बार अवश्य होगी। आवश्यकतानुसार किसी भी सदस्यों द्वारा अन्य बैठक का आयोजन हो जायेगा।

बैठको की सूचना — सामान्य बैठक की सूचना कम से कम सप्ताह पहले एजेण्डा द्वारा अर्थात सदस्यो एवं पदाधिकारियों की दी जायेगी तथा विशेष बैठक की सूचना दिन के दिन अर्थात 24 घण्टे पूर्व दी जायेगी।

बैठक की गणपूर्ति :— बैठक में सदस्यो की उपस्थिति दो तिहाई तीन बहुमत से होने पर इसकी बैठक का कोरम पूर्ण होगा इस प्रकार साधारण सभा की बैठकों का कोरम 2/3 होगा।

विशेष वार्षिक अधिवेशन व उसकी तिथि आदि :—

हर साल की समाप्ति पर प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा नियुक्त तिथि समय व स्थान पर संस्था का वार्षिक अधिवेशन होगा। जिसकी सूचना सदस्यों को एक माह पूर्व दी जायेगी।

साधारण सभा के कर्तव्य अधिकार —

1— समिति की प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना तथा कार्यकाल से पूर्व रिक्त होने वाले स्थानों की पूर्ति करना।

2— सालाना बजट पर विचार करना।

3— संस्था की नीति निर्धारित करना।

4— कार्यकारिणी मे पारित प्रस्तावों को अन्तिम रूप देना।

8—प्रबन्धकारिणी समितिः—

गठन :—

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों का गठन साधारण सभा के सदस्य अपने सदस्यों मे से 2/3 बहुमत के आधार पर शेष कार्यकाल के लिए करेंगे। प्रबन्धकारिणी समिति का गठन 3 वर्ष के लिये होगा। एवं भविष्य में आवश्यकतानुसार पदाधिकारियों/सदस्यों की संख्या कम से कम 7 व अधिक से अधिक 31 तक की जा सकती है। कालिज के प्राधानाचार्य पद पर आसीन व्यक्ति प्रबन्धकारिणी के पदेन सदस्य होगा।

बैठके व सूचना :—

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक एक साल मे चार बार होगी विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पहले समस्त सदस्यों व पदाधिकारियों को दी जायेगी विशेष बैठक का आयोजन आपातकालीन स्थिति में किया जा सकेगा।

गणपूर्ति :—

बैठक मे सदस्यों की उपस्थिति 2/3 होने पर उसकी बैठक का कोरम पूर्ण होगा। कोरम के अभाव मे स्थगित बैठक के बाद जो बैठक होगी उसमें कोरम की बाध्यता नहीं होगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति :—

Anshu Nagpal   Saleem   चन्द्रमोहन   Nasir Ali

प्रधान सहायक
कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
मुरादाबाद

Generated by CyberLink U Scanner

प्रबन्धकारिणी समिति मे होने वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति साधारण सभा के सदस्यों में से अपने 2/3 बहुमत द्वारा शेष कार्यकाल मे लिए करेंगें।

कार्यकारिणी समिति का गठन :–

1. अपने सदस्यों मे से पदाधिकारियों का चुनाव करना।
2. संस्था के संचालन एवं आम सभा के प्रस्तावों का पालन करना और योजना बनाना।
3. बजट बनाना और उसे पारित करना
4. संस्था के क्षेत्र मे घटाना और बढाना एवं आवश्यकतानुसार प्रधान कार्यालय का स्थानान्तरण करना।
5. कार्यकारिणी की नियुक्ति एवं मुक्ति तथा उपसमिति का गठन करना।
6. ऋण, अनुदान लेने व देने को स्वीकार करना तथा बैंक के लेन देना का अधिकार देना।
7. मन्त्री द्वारा प्राप्त हिसाब किताब व प्रगति रिपोर्ट स्वीकार करना।
8. अन्य आवश्यक कार्य जो संस्था के हित मे हो करना।
9. 1000/– रूपये से अधिक व्यय की स्वीकृति एवं बिल पास करना।
10. चन्दा, दान, ऋण, अनुदान स्वरूप आर्थिक सहायता प्राप्त करना एवं संस्था की निजी आय खेती इत्यादि।
11. किसी भूमि भवन तथा चल अचल सम्पत्ति को अनुदान में प्राप्त करना, कय करना , व्यवस्थिति करना।

हस्तान्तारित करना अथवा पटटे या किराये पर लेना या अनुदान द्वारा अन्य साधनों से प्राप्त करना।

9 प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियो के अधिकार एवं कर्तव्य :–

अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1. विभिन्न प्रकार के अधिवेशन की अध्यक्षता करना।
2. बैठकों मे समान मत होने पर निर्णायक मत देना। तथा बैठक मे एकताधिकार देना।
3. संस्था के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्ति का निर्णय देना।
4. समय समय पर संस्था के कार्यो का निरीक्षण करना।
5. महामन्त्री अथवा कोषाध्यक्ष के साथ वर्ष के बजट पर हस्ताक्षर करना।

उपाध्यक्ष :–

अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे उसके कर्तव्यों का पालन करना अध्यक्षता वरिष्ठता एवं आयु के कम से मानी जायेगी।

प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1. समस्त प्रकार की बैठकों के लिए एजेण्डा जारी करना।
2. संमस्त पत्र व्यवहार करना व अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व वहन करना।
3. विभिन्न प्रकार के श्रोतासें से प्राप्त दान, अनुदान, चन्दा

Anshu Naspal
Saleem
चन्द्रमोहन
Nasir Ali

प्रधान सहायक
कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
मुरादाबाद

Generated by CyberLink U Scanner

आदि प्राप्त करना। व उसका हिसाब किताब रखना।

4. वह संस्था की चल व अचल सम्पति से सम्बन्धित होने वाले इकरारनामा / बैनामा आदि पर हस्ताक्षर कर उनका प्रमाणित करना।

5. समस्त आय व्यय का हिसाब रखना एवं बैठक में प्रस्तुत करना।

6. कोषाध्यक्ष के साथ चैको पर हस्ताक्षर करके खातों का संचालन करना।

उपप्रबन्धक :–

प्रबन्धक की अनुपस्थिति मे उसके समस्त कर्तव्यों का पालन करना तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे कार्य करना प्रबन्धक की अनुपस्थिति मे वरिष्ठता के अधार पर उपप्रबन्धक का कार्यभार संभालेगा।

आडिटर के अधिकार एवं कर्तव्य :–

आय व्यय की जांच करे जांच रिपोर्ट सचिव को देना।

कोषाध्यक्ष :–

1. संस्था की समस्त आय व्यय का लेखा परीक्षण रिपोर्ट बैठक मे प्रस्तुत करना
2. खर्च के बाउचर तैयार करना व उसका भुगतान करना।
3. महामन्त्री के साथ खातों का संचालन करना।

प्रधानाचार्य :–

शिक्षण संस्था मे चल रहे सभी प्रकार के कार्याकलापों पर नियंत्रण रखना और संचालन करना शिक्षण कार्य एवं परीक्षा आदि का संचालन करना, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा सस्था की स्टाक बुक को नियन्त्रण करना एवं प्रबन्धकारिणी समिति में शिक्षा से सम्बन्धित एवं कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करना।

10– संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :–

इस हेतु बुलायी गयी साधारण सभा की बैठक जिसमें सदस्यो की उपस्थिति 2/3 बहुमत हो इसी बहुमत से संशोधन प्रस्ताव पास होने पर संस्था के नियमों में संशोधन प्रकिया की जायेगी।

11– संस्था का कोष :– किसी [redacted] बैंक अथवा पोस्ट आफिस में सस्था के नाम से खाता खोला जायेगा, जिसमे समस्त धन जमा किया जायेगा इस खाते को प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से संचलित किया जायेगा।

12– संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण :–

हर साल आय व्यय सम्बन्धी जांच आडिटर मान्यता प्राप्त द्वारा करायी जायेगी जो जांच के बाद अपनी आख्या प्रबन्धकारिणी समिति मे प्रस्तुत करेगा।

13–संस्था द्वारा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदाायित्व :–

संस्था द्वारा की गई अदालती कार्यवाही अथवा संस्था के विरोध मे आने वाली अदालती कार्यवाही के निस्तारण का अधिकार स्थानीय न्यायालय को होगा। इस सम्बन्ध मे अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व सैकेट्री पर होगा। संस्था की ओर से अध्यक्ष एवं महामन्त्री द्वारा अदालती कार्यवाही की जबावदेही की

Anshu Nagpal
Saleem
चन्द्रमोहन
Nasir Ali

प्रधान सहायक
कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
मुरादाबाद

Generated by CyberLink U Scanner

जायेगी।

14— संस्था के अभिलेख :—
1. सदस्यता रजिस्टर।
2. कार्यवाही रजिस्टर।
3. स्टाक रजिस्टर।
4. कैश बुक आदि।

15— संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही :—
संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजि0 एक्ट धारा 13 व 14 के अनुसार की जायेगी।

16 संस्था की सामूहिक उत्तरदायित्व :—
यदि संस्था प्रबन्धकारिणी समिति व कोई सदस्य भी विभाग से कोई ऋण आदि प्राप्त करेगा तो उसकी अदायगी की जिम्मेदारी व सभी सदस्यों पर सामूहिक रूप से होगी चाहे व सर्वसम्मति से त्यागपत्र ही क्यो न दे चुके हो समिति द्वारा प्राप्त किये गये ऋण के विपक्ष मे संस्था व सदस्यों की सम्पत्ति का समयक बंधक हो सकेगा।

17— अन्य नियम :—

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जाएगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति के शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय मे कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जति/अनुसूचित जन जाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगें उनसे प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयो में विभिन्न कक्षाओ के लिए निर्धारित शुल्क से अधिकृत शुल्क नही लिया जाएगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मॉग नही की जाएगी और यदि पूर्व मे विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को सम्बद्धता सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी
एजूकेशन, नई दिल्ली/काउन्सिल ऑफ दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामीनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जाएगा।
5. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियो को राजकीय सहायत प्राप्त शिक्षा संस्थाओ के कर्मचारियो को अनुमन्य वेतन मानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिए जायेगें।
6. कर्मचारियो की सेवा शर्ते बनाई जाएगी और उन्हें सहायता प्राप्त आशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियो को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराए जायेगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेगें संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं मे रखा जाएगा।
9. उपरोक्त सभी 8 शर्तो के बिना शासन मे पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नही किया जाएगा।

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

दिनांक :— 15.5.2015

Dushu Nagpal   Saleem

चन्द्रमोहन   Nasir Ali

सत्यप्रतिलिपि

हस्ताक्षर

प्रधान सहायक
कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
मुरादाबाद
23/5/15

Generated by CyberLink U Scanner